

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

२०१८ में व कुलाज फर्दीकेन डूडर / मूल वास  
 खारिज किया जा चुका हो अतः इस  
 डकक में आगे अलग कोई कार्यवाही  
 अपेक्षित नहीं रह गयी है। अतः डा-फर  
 की कार्यवाही इसी स्तर पर ही  
 डा-फर अधिनियम खारिज किया जाता  
 है। तथा न्यायालय द्वारा जारी अज्ञात  
 निर्देशानुसार जो ०६/०६/२०१८ को भी  
 निरस्त किया जाता है। प्रसवली फौजदारी  
 में शुमार होने पर मूल वास स्थलगत रहे।



उपखण्ड अधिकारी  
 रायसिंहनगर